न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :–02/2016 (प्रार्थना पत्र हुक्म अदूली)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2016/00037

उनवान

बृजेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद जाति ठाकुर निवासी दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. मुन्नी देवी पत्नी हाकिम सिंह
2. रामपाल
3. श्यामपाल
4. विजयपाल — पिसरान हाकिम सिंह
5. प्रेमपाल
6. गंगासिंह

जाति ठाकुर नि0 दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 05.01.2016 उनवानी बृजेन्द्र सिंह बनाम मुन्नी देवी प्रार्थना पत्र संख्या 192/10 न्याया0 उपखण्ड अधिकारी रूपवास।

अपील संख्या :–03/2016 (प्रार्थना पत्र हुक्म अदूली)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2016/00036

उनवान

बृजेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद जाति ठाकुर निवासी दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. मुन्नी देवी पत्नी हाकिम सिंह जाति ठाकुर निवासी दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. गुड्डी पुत्री हाकिम सिंह पत्नी शैलेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी पुराना बिजली घर, भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
3. रामपाल
4. श्यामपाल
5. विजयपाल — पिसरान हाकिम सिंह — जाति ठाकुर नि0 दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
6. प्रेमपाल
7. गंगासिंह

.....अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 05.01.2016 उनवानी बृजेन्द्र सिंह बनाम हाकिम सिंह प्रार्थना पत्र संख्या 195/09 न्याया0 उपखण्ड अधिकारी रूपवास।

अभिभाषकगण :–

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री सुभाष चन्द शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 09.05.2019

1. यह दोनों प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवस के निर्णय दिनांक 05.01.2016 के विरूद्ध पेश किया गया है। दोनों प्रकरणो की समान विषयवस्तु, समान पक्षकार होने के कारण एक ही निर्णय से निस्तारित किये जा रहे हैं। निर्णय एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल मिसल की जावें।

2. अपील संख्या 02/16 के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.09.2010 को अप्रार्थीगण/रैस्पो0 के पिता हाकिम सिंह को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशित किया कि वह विवादित आराजी वाके ग्राम दौरदा तहसील रूपवास में प्रार्थीगण/अपीलाण्ट के 1/3 हिस्से में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत बेजा नहीं करे एवं शान्तीपूर्वक काश्त करने दे तथा विवादित आराजी को किसी दीगर जगह रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करें। परन्तु उक्त आदेश के चलते अप्रार्थीगण/रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त आदेश की अवहेलना व अवमानना की गयी। अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 02(ए) सीपीसी प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण/रैसपो0 को दण्डित करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील संख्या 03/16 के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के समक्ष एक वाद उनवानी बृजेन्द्र बनाम हाकिम वगै0 वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा आधीन धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादी, प्रार्थीगण/वादी की खातेदारी की आराजी स्थित ग्राम दौरदा तहसील रूपवास में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करें। उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण/प्रतिवादी को आदेशित किया कि वह अपीलार्थी/वादी की विवादग्रस्त आराजी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। किन्तु उक्त आदेश के चलते अप्रार्थीगण/प्रतिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त आदेश की अवहेलना व अवमानना की गयी। अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 02(ए) सीपीसी प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण/प्रतिवादी को दण्डित करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अप्रार्थीगण एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों का नाम दर्ज है और ये रामप्रसाद के वारिसान हैं और यह भी अंकित किया है कि अपीलाण्ट ने यह स्वीकार किया है कि मौके पर विवादित भूमि तीन हिस्सो में बंटा हुआ है। जबकि अपीलाण्ट ने उक्त तथ्य को ना तो अपने प्रार्थना पत्र हुक्म अदूली और ना ही अपने बयानो में स्वीकार किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। जबकि प्रार्थीगण की साक्ष्य के खण्डन में अप्रार्थीगण ने कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। रैस्पो0 ने अपीलाण्ट के हिस्से की विवादित आराजी को कभी जोता–बोया नहीं है एवं ना ही उनके कब्जे काश्त में कभी हस्तक्षेप किया है। रैस्पो0 अपने हिस्से की भूमि पर ही काश्त करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलार्थी की ओर से अपनी साक्ष्य के रूप में मात्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2016, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास प्रस्तुत किया गया है। उक्त अपीलाधीन आदेश के अलावा अपीलार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी को जोतने–बोने से रोकने का तथ्य अथवा स्थगन आदेश की अवहेलना व अवमानना सिद्ध होती हो। इसके अतिरिक्त स्वयं अपीलाण्ट ने अपने बयानो में यह अंकित किया है कि'' मैं विवादित आराजी में अपने हिस्से की आराजी को जोतने–बोने मौके पर पहुॅचा। मौके पर मेरे साथ प्रमोद, दिनेश, नरेन्द्र आदि मौजूद थे। अप्रार्थीगण जोतने–बोने नहीं गये क्योंकि उनका कोई हिस्सा विवादित आराजी में नहीं है। मौके पर कोई झगडा नहीं हुआ और ना ही कोई मारपीट व विवाद हुआ'' इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही आदेशो की अवहेलना ना पाते हुये, अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जिससे हम हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा दोनों अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य समझते हैं।

8. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.01.2016 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर